पत्रावली दिनांक 30/10/25 को पेश

30/10/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र जारी रहने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रा० पत्र खारिज किया जाकर फैसल शुमार हो दर्ज रजि० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी
सांगरलेक